## <u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> जिला—अशोकनगर म०प्र०

दांडिक प्रकरण क-611/09

संस्थित दिनांक- 22.12.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

पप्पू पुत्र बृखभान सिंह यादव उम्र 28 साल, निवासी ग्राम पाण्डरी, सिहपुर जिला— अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 27.07.2017 को घोषित)</u>

- 01—अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि० की धारा 325 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 02.12.2009 को जिहान यादव के मकान के सामने रोड पर पाडरी सिंहपुर में आहत छोटू को पैर में लाठी मारकर कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.12.2009 को फिरयादी कल्लू अपने घर पर था, उसके बहनोई मलखान सिंह यादव सिंहपुर चाल्दा के भतीजे छोटू को घर लेकर आये थे, करीब साढे आठ बजे जिहान के मकान के आगे रोड पर बृगभान के लड़के पप्पू ने छोटू के लाठी मारी दी जो उसके दाहिने पैर मुंदी चोट लेकर सूजन आयी, उस समय मौके पर संग्राम सिंह और जिहान सिंह भी थे। कल्लू ओर बृगभान के लड़के की पहले से रंजिश चल रही थी, उसी रंजिश पर से पप्पू ने कल्लू के भतीजे को लाठी मारी। फिरयादी कल्लू ने घटना दिनांक को ही पुलिस थाना चदेंरी में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक क्रमांक—846/2009 अंतर्गत धारा—323 भा0द0वि0 के तहत लेखबद्ध की गई। फिरयादी कल्लू के भतीजे का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में एक्स—रे रिपोर्ट पर छोटू को लाठी से उपहित पाये जाने पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरूद्ध अपराध क्रमांक 397/2009

अंतर्गत भा0द0वि0 धारा—325, 323 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.12.2009 को जिहान यादव के मकान के सामने रोड पर पाडरी सिंहपुर में आहत छोटू को पैर में लाठी मारकर कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
- 2 दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 05— प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में फरियादी कल्लू सिंह (अ0सा0—1) सिंहत घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में जिहान सिंह (अ0सा0—3), संग्राम सिंह (अ0सा0—4), मलखान (अ0सा0—6) के कथन न्यायालय में कराये गये तथा चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस0पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—2) रेडियोलोजिस्ट सीताराम (अ0सा0—7) सिंहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक उपनिरीक्षक रामदास (अ0सा0—5) एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी शिवमंगल सिंह सेंगर (अ0सा0—8) के कथन न्यायालय में कराये गये।
- 06— फरियादी कल्लू सिंह (अ०सा०—1) अभियोजन कहानी के अनुसार स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होकर घटना का अनुश्रुत साक्षी है, जो इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में स्वीकार किया है। फरियादी कल्लू सिंह (अ०सा०—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना वर्ष 2009 की हैं, वह अपने घर पर था, तो दूसरे गांव के लोगों ने उसे आकर बताया था कि छोटू का अभियुक्त पप्पू ने मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर दिया है जिसमें छोटू का पैर टूट गया है। इस साक्षी का कहना है कि वह मौके पर पहुंचा था तो उसने छोटू को सड़क पर पड़ा हुआ देखा था, जिसके पैर की हड्डी टूट गयी थी, जिसके बाद वह

छोटू को लेकर अभियुक्त के घर पर गया था, तो उसके माता—पिता ने इलाज कराने का आश्वासन दिया था, अभियुक्त के माता पिता द्वारा इलाज न कराने पर वह छोटू को लेकर थाने आ गया था, जहा से थाने वालों ने छोटू को इलाज के लिये अस्पताल भेजा था और अस्पताल में जांच होने पर छोटू के हडडी में फ्रैक्चर होना पाया था।

- 07— घटना दिनांक 02.12.09 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदेरी में आहत छोटू पुत्र धारूसिंह का चिकित्सीय परीक्षण हुआ था, इसकी पुष्टि स्वयं चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—2) जिनके द्वारा छोटू का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, ने अपने न्यायालीन कथनों में की है। डॉक्टर एस पी सिद्धार्थ (अ0सा0—2) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उन्होंने छोटू के चिकित्सीय परीक्षण में उसके दाहिने टांग के मध्य भाग के सामने की ओर 4 x 2 सेटीमीटर का एक नीलगू निशान पाया था, जो लाल रंग का दर्द के साथ सूजन लिये हुये था। इस साक्षी का कहना है कि उक्त चोट के लिये एक्स—रे की सलाह उसने दी थी। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—2) के न्यायालीन कथनों की पुष्टि स्वयं उनके द्वारा आहत छोटू के चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत दिनांक 02.12.09 को तैयार की गयी रिपार्ट प्रदर्श—पी 4 से होती है।
- 08— डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—2) के द्वारा आहत छोटू को दिनांक 02.12.2009 को आयी चोट के संबंध में एक्स—रे हेतु रैफर किये जाने के बाद डॉक्टर सीताराम सिंह (अ0सा0—7) के द्वारा छोटू का दाहिने टांग में आयी चोट का एक्स—रे परीक्षण किया गया था, जिसकी पुष्टि स्वयं डॉक्टर सीताराम (अ0सा0—7) ने अपने कथनों में की है। डॉक्टर सीताराम सिंह (अ0सा0—7) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि छोटू के एक्स—रे परीक्षण के उपरांत एक्स—रे प्लेट के अवलोकन उपरांत उन्होने छोटू की दाहिनी टांग में टिबिया हड्डी के नीचले भाग व फेबुला हड्डी के उपरी भाग पर अस्थि भंग होना पाया था। डॉक्टर सीताराम सिंह (अ0सा0—7) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि एक्स—रे परीक्षण के उपरांत उनके द्वारा तैयार की रिपार्ट प्रदर्श—पी 9 एवं संलग्न एक्स—रे रिपार्ट से भी होती है।
- 09— दिनांक 02.12.09 को डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—2) ने छोटू के दाहिनी टांग में दर्द के साथ लाल रंग की नीलगू निशान की चोट पायी थी, तथा उक्त चोट का एक्स—रे परीक्षण डॉक्टर सीताराम सिंह (अ0सा0—7) के द्वारा किये जाने के उपरांत डॉक्टर सीताराम सिंह (अ0सा0—7) था, इस संबंध में चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—2) व डॉक्टर सीताराम सिंह (अ0सा0—7)

के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन एवं उनके द्वारा तैयारी की गयी चिकित्सीय रिपोर्टों को बचावपक्ष की ओर से कोई विशेष चुनौती नहीं दी गयी। इन साक्षियों के द्वारा पिदये हैसियत में संपूर्ण कार्यवाही की गयी, जिससे इन साक्षियों के न्यायालीन कथनों एवं तैयार की गयी रिपोर्टों पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है। अतः अभिलेख पर आयी उपरोक्त साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि दिनांक 02.12.09 को आहत छोटू के पैर में अस्थि भंग होने से गंभीर उपहति कारित हुयी थी।

- 10— अतः मुख्यरूप से इस बात पर विचार किया जाना है कि छोटू को कारित हुयी उपरोक्त गंभीर उपहित वास्तव में अभियुक्त द्वारा उसे लाठी से मारकर कारित की गयी थी अथवा नहीं। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी कल्लू सिंह (अ0सा0—1) स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, वहीं आहत छोटू घटना के समय कम उम्र का होने से उसे अभियोजन की ओर से प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में जिहान सिंह (अ0सा0—3) संग्राम सिंह (अ0सा0—4), मलखान सिहं (अ0सा0—6) के कथन अभियोजन की ओर से कराये गये हैं, परन्तु उपरोक्त तीनों ही साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, परन्तु इन साक्षियों ने अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा घटना के संबंध में पुलिस को कथन देने से इन्कार किया है।
- 11— फरियादी कल्लू सिंह (अ०सा०—1) का कहना है कि उसने पुलिस थाना चंदेरी में घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी, जिस पर प्रदर्श—पी 1 पर उसने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। उपनिरीक्षक रामदास (अ०सा०—5) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि प्रदर्श—पी 1 का अदम चैक उसके द्वारा लेखबद्ध की गयी है, जो फरियादी ने पुलिस थाना चंदेरी में उपस्थित होकर लेखबद्ध कराया था, जिस पर रामदास (अ०सा०—5) ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।
- 12— अतः फरियादी कल्लू सिंह (अ०सा०—1) के अनुसार उसने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट पुलिस थाना चंदेरी में लेख करायी थी, जिसकी पुष्टि स्वयं उपनिरीक्षक रामदास (अ०सा०—5) अपने न्यायालीन कथनों में करते हुये कहता है कि उसने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट फरियादी के कहे अनुसार लेखबद्ध की थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि कि फरियादी प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट लेख कराना थाने पर बताता है परन्तु

उसके द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन उसके लेख करायी गयी रिपार्ट प्रदर्श पी 1 में उल्लेखित घटना से पूरी तरह से भिन्न है।

- 13— फरियादी कल्लू (अ०सा०—1) अभियोजन घटना के विपरीत दूसरे गावं के लोगों के द्वारा घटना के संबंध में उसे जानकारी प्राप्त होना बताता है तथा इस साक्षी के अनुसार उन लोगों ने उसे यह बताया था कि पप्पू ने मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर छोटू को उपहित कारित की है। यह साक्षी स्वयं ही छोटू को लेने घटना स्थल पर जाना बताता है। जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार पप्पू के द्वारा मोटरसाइकिल से छोटू का एक्सीडेंट कारित करने जैसी कोई घटना ही नहीं हुयी थी। अभियोजन कहानी के अनुसार पप्पू ने छोटू के लाठी मार कर उपहित कारित की थी और इस घटना के बारे में उसे घर पर आकर मलखान ने बताया था। अतः फरियादी कल्लू (अ०सा०—1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में बतायी गयी घटना पूरी तरह से अभियोजन कहानी के विपरीत है।
- 14— कल्लू सिंह (अ०सा०—1) अपने न्यायालीन कथनो में एक ओर इस बात का खण्डन करता है कि प्रदर्श—पी 1 की रिपोर्ट में उसने यह लेख कराया था कि घटना के संबंध में मलखान ने उसे बताया था कि बृजभान के लड़के पप्पू ने छोटू को लाठी मारी। परन्तु यही साक्षी पुनः अपने उपरोक्त कथनों से पलटते हुये यह कहता है कि मलखान ने उसे बताया था कि आरोपी पप्पू ने छोटू को लाठी मारी थी। इसी प्रकार यह साक्षी पुनः अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह कहता है कि कुछ लोग यह कहते जा रहे थे कि अभियुक्त ने छोटू को लाठी मार दी तथा यह साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में यह कहता है कि उसके परिचित किसी ने उसे यह नहीं बताया कि अभियुक्त ने मोटरसाइकिल से अथवा लाठी से छोटू को मारा है।
- 15— कल्लू सिंह (अ०सा०—1) स्वयं अपने न्यायालय में दिये गये कथनो पर भी स्थिर नही है। यह साक्षी एक ओर दूसरे गांव के लोगो के द्वारा उसे पप्पू के द्वारा मोटरसाइकिल से छोटू का एक्सीडेंट कारित कर छोटू को उपहित कारित करने की जानकारी होना बताता हैं परन्तु यही साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में अपने उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुये कहता है कि गांव वालों ने उसे घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था और न ही उसे यह मालूम चला था कि पप्पू ने छोटू को मोटरसाइकिल से टक्कर मारीं। कल्लू सिंह (अ०सा०—1) अपने न्यायालीन कथनों में छोटू को आयी चोट पप्पू के द्वारा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कारित करने पर आने की जानकारी होना बताता है, जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार पप्पू के द्वारा लाठी से छोटू को उपहित कारित की गयी।

- 16— कल्लू (अ0सा0—1) अपने परीक्षण में इस बात का भी खण्डन करता है कि बृजभान से घटना के पहले से उसकी पूर्व की रंजिश थी, जबिक प्रदर्श—पी 1 में इस बात का उल्लेख है कि घटना के पहले से बृजभान से उसकी रंजिश थी, जिसके कारण घटना कारित हुयी। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि उसकी बृजभान से कोई रंजिश है और न ही उसने इस संबंध में पुलिस को प्रदर्श—पी 1 की रिपोर्ट लेख करायी और न ही कोई कथन लिये।
- 17— कल्लू सिह (अ०सा0—1) के स्वयं के न्यायालीन कथनों से यह स्पष्ट होता है कि वह स्वयं यह स्पष्ट करने की स्थिति में नही है कि वास्तव में छोटू को आयी चोट किस प्रकार कारित हुयी थी, किस व्यक्ति ने उसे घटना के संबंध में जानकारी दी थी तथा आहत छोटू घटना स्थल से कैसे थाने पर पहुचा था तथा उसने थाने पर क्या रिपोर्ट लेख करायी थी। कल्लू सिंह (अ०सा0—1) घटना का प्रत्यक्ष साक्षी न होकर अनुश्रुत साक्षी है, जिससे घटना के संबंध में इस साक्षी के द्वारा दी गयी साक्ष्य वैसे भी अनुश्रुत होने से साक्ष्य में गाह्य नहीं है। उस पर कल्लू सिह (अ०सा0—1) के न्यायालय में दिये गये कथन उसके द्वारा लेखबद्ध करायी गयी अदम चैक प्रदर्श—पी 1 के विपरीत हैं तथा वह स्वयं ही न्यायालय में दिये गये अपने कथनों पर स्थित नहीं है। जिससे इस साक्षी के न्यायालीन कथनों में एवं प्रदर्श—पी 1 की रिपोर्ट एवं पुलिस को लेख कराये गये कथन प्रदर्श—पी 3 में गंभीर विरोधाभास की स्थिति हैं, जो कि तात्विक स्वरूप का होकर अभियोजन घटना की सत्यता की जड़ पर प्रहार करता है।
- 18— अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में परीक्षण कराये ग ये साक्षी जिहान सिंह (अ0सा0—3), संग्राम सिंह (अ0सा0—4) एवं मलखान (अ0सा0—6) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण घटना को प्रमाणित करने के लिये कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है वहीं फरियादी कल्लू (अ0सा0—1) घटना का अनुश्रुत साक्षी है तथा अनुश्रुत होने के बाद इस साक्षी के द्वारा न्यायालय में जिस प्रकार से कथन दिये गये है उससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 में उल्लेखित घटना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। निश्चित रूप से छोटू को घटना दिनांक को दाहिने पैर में गंभीर उपहित कारित होना प्रमाणित हैं परन्तु उक्त उपहित इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकती है कि उक्त उपहित अभियुक्त के द्वारा कारित की गयी इस तथ्य को अभियोजन को साक्ष्य से साबित करना था जिसे अभियोजन अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर साबित करने में सफल नहीं हुआ।

- 19— अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरफ से असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 02.12.2009 को जिहान यादव के मकान के सामने रोड पर पाडरी सिंहपुर में आहत छोटू को पैर में लाठी मारकर कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की थी।
- 20— फलस्वरूप <u>अभियुक्त पप्पू पुत्र बृखमान सिंह यादव</u> के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—325 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर <u>अभियुक्त पप्पू पुत्र बृखमान सिंह यादव</u> को भा०दं०वि० की धारा—325 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 21— <u>अभियुक्त पप्पू पुत्र बृखमान सिंह यादव</u> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)